न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 55/2019

जीसीएमएस नम्बर : 2019/00138

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
सोहनकंवर पत्नी प्रेमसिंह जाति राजपुरोहित निवासी विंगरला तहसील रानी जिला पाली (राज.)		1. रघुनाथ सिंह पुत्र हमीर सिंह जाति राजपुरोहित निवासी विगंरला के वारिसान 1/1 नरेन्द्र सिंह उर्फ नरेश सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह जाति राजपुरोहित निवासी विगंरला तहसील रानी जिला पाली 1/2 सरोज पुत्री रघुनाथ सिंह पत्नी खुमान सिंह जाति राजपुरोहित निवासी आकड़ावास तहसील पाली 2. ग्राम पंचायत वरकाणा जरिये सरपंच महोदय तहसील रानी

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीया की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित।
2. अप्रार्थी संख्या 1/2 की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष राजपुरोहित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 30/01/2025

प्रार्थीया की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत वरकाणा द्वारा मिसल संख्या 22/86–87, प्रस्ताव संख्या 04 दिनांक 15.07.1987 एवं उसकी पालना में रघुनाथसिंह पुत्र हमीरसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 13 दिनांक 04.12.1987 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। वक्त बहस अप्रार्थी संख्या 1/1 असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीया ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी के पति का ग्राम विगंरला में रहवासीय मकान स्थित है, जिसके पूर्व दिशा में अप्रार्थी का मकान है। प्रार्थीया के संतान के रूप में पुत्र नहीं होने से अप्रार्थी संख्या 1/1 का बाल्यकाल से पालन–पोषण प्रार्थीया ने ही किया है। प्रार्थीया द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष अपने रहवासीय मकान का पट्टा बनाने का आवेदन पेश करने पर ग्राम पंचायत ने विधिवत् तरीके से पट्टा संख्या 11 जारी किया, जिसे अप्रार्थी संख्या 1/1 द्वारा न्यायालय हाजा में इस आधार पर चुनौती दी है कि उक्त परिसर का पूर्व में रघुनाथ सिंह के नाम पट्टा जारी किया हुआ है। जैर निगरानी पट्टे का परिसर न तो ग्राम में उपलब्ध है, न ही उसके पड़ौस कहीं पर भी एग्जिस्ट होते

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

है। जैर निगरानी पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत ने न तो मौके की जांच की, न ही नापचौक किया, न ही मौका निरीक्षण किया, न ही आपत्तिया आमंत्रित की, न ही इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य ली गई। केवल मात्र काल्पनिक रूप से नाम व पड़ौस दर्ज करते हुये पट्टा जारी किया गया, जो मौके से मेल नहीं खाता है। अधिवक्ता प्रार्थीया ने इसके सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त 1995 DNJ 458, 1996 DNJ 413, 2000(2) RLW 911, 2018(2) DNJ 497, 2015(1) DNJ 443, पेश कर जैर निगरानी पट्टे को खारिज करने का निवेदन किया है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत ने पंचायती राज में विहित प्रक्रिया को अपनाते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। जैर आराजी पर अप्रार्थी का कब्जा था तथा मकान का निर्माण कार्य किया हुआ था, जहा वर्तमान में हम निवासरत है। जैर निगरानी पट्टा वर्ष 1987 का है तथा यदि वर्तमान में इसकी मिसल नहीं मिली तो ये इस बात का द्योतक नहीं है कि उक्त पट्टे में पंचायत प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। हमारे पक्ष में बने जैर निगरानी पट्टे की भूमि पर प्रार्थीया ने विधिविरूद्ध तरीके से पट्टा संख्या 11 दिनांक 03.07.2017 को जारी करवा दिया, जिसकी निगरानी न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। उक्त पट्टो के पड़ौस मिलान से भी पता चलता है कि जैर निगरानी पट्टा पूर्व में बना है तथा वह भी विधिवत जारी किया गया है। इसलिये अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा बिना विधिक आधारों के प्रस्तुत जैर निगरानी याचिका को खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण दस्तावेजों एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत वरकाणा द्वारा मिसल संख्या 22/86–87, प्रस्ताव संख्या 04 दिनांक 15.04.1987 एवं उसकी पालना में रघुनाथसिंह पुत्र हमीरसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 13 दिनांक 04.12.1987 के विरूद्ध पेश की है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त ग्रामसभा बैठक रजिस्टर में बैठक दिनांक 26.04.1987 प्रस्ताव संख्या 4 में अंकितानुसार अप्रार्थी रूघनाथ सिंह का अपने कब्जा सुदा बांडे का पट्टा चाहने बाबत् आवेदन पेश हुआ एवं मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों को नियुक्त किया गया जबकि इससे आगामी पंचायत बैठक दिनांक 15.07.1987 प्रस्ताव संख्या 4 के द्वारा अप्रार्थी रूघनाथ सिंह के पक्ष में नियम 266 के तहत जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया अर्थात् ग्राम पंचायत ने हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत आज्ञा की पालना में जैर आराजी का पट्टा जारी करने से पूर्व न तो आपत्ति ईश्तहार जारी किया और न ही कब्जा सत्यापन हेतु स्वतंत्र गवाहों के बयान लिये। इस सम्बन्ध में अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त 1995 DNJ 458 Dhanraj and Anr. vs Add. collector, Ganganagar & Ors. हस्तगत प्रकरण पर हूबहू चस्पा होता है। उपरोक्त दस्तावेजो के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 में पट्टा जारी करने की विहित प्रक्रिया का पूर्ण पालन नहीं किया है।

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 में पट्टा जारी करने की प्रक्रिया विहित है। जिसके अनुसार नियम 256 के तहत पंचायत से कोई भी आबादी भूमि खरीदने का इच्छुक कोई व्यक्ति पंचायत को लिखित आवेदन, उसमें उसका ऐसा विवरण देते हुए प्रस्तुत करने के प्रावधान है, जो क्रय के लिये प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिये पर्याप्त हो तथा

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

आवेदन के साथ नक्शा तैयार करने के व्यय पेटे दो रूपये की राशि जमा करानी होगी। इसके पश्चात नियम 257 के तहत नक्शा तैयार किया जायेगा एवं नियम 258 के तहत मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों की कमेटी मनोनीत करने तथा पंचों द्वारा "क से घ" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्रावधान है। नियम 259 के तहत अस्थायी निर्णय करने एवं नियम 260 के तहत एक माह की अवधि के भीतर आपत्ति आमन्त्रित करने को नोटिस जारी कर प्रकाशित करने के प्रावधान है। नियम 260 के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त आक्षेप के निस्तारण के प्रावधान नियम 261 के तहत प्रदत्त हैं। नियम 262 के तहत भूमि को नीलाम करने की प्रक्रिया विहित है। नियम 263 के तहत भुगतान तथा भुगतान न करने पर पुनविक्रय के प्रावधान है एवं नियम 264 के तहत नीलामी की प्रक्रिया उल्लेखित है व नियम 265 के तहत किये गये नीलाम की पुष्टि के प्रावधान है। नियम 266 के तहत निजी बातचीत द्वारा आबादी भूमि का हस्तान्तरण एवं भूमियों का निःशुल्क आंवटन के प्रावधान नियम 267 में उल्लेखित है। नियम 268 के तहत हस्तान्तरण तथा आवंटन अनुमोदनाधीन एवं आबादी का विक्रय से अपवर्जन के प्रावधान नियम 269 में प्रदत्त है। किसी आबादी भूमि का नियम 263 के तहत भुगतान कर दिया जाने, नियम 265 नीलामी की पुष्टि करने और नियम 270 के अधीन कोई अपील नहीं होने की स्थिति में नियम 271 के तहत विक्रय–विलेख जारी किये जाने का प्रावधान है। जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 के नियम 266 के तहत जारी किया गया हैं। जिसका परिक्षण एवं वैद्यता की जांचने के लिए ग्राम पंचायत के रेकर्ड की उपलब्धता वांछनिय है, ग्राम पंचायत ने अपने पत्र दिनांक 06.01.2020 के द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित पट्टा बुक एवं ग्रामसभा बैठक रजिस्टर उपलब्ध करवाया तथा मिसल रिकार्ड में उपलब्ध नहीं होना बताया। ग्राम पंचायत के समक्ष जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित मिसल ही नहीं है, जो हस्तगत पट्टे को सन्देहास्पद बनाती है। अतः प्रकरण पुनः जांच कर विधिवत सुनवाई हेतु पंचायत को प्रतिप्रेषित किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित प्रतीत होता है, जिससे प्रकरण में राजस्थान पंचायती राज नियमों की पालना करते हुये विधिनुसार कार्यवाही की जा सके।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत वरकाना द्वारा मिसल संख्या 22/86–87, प्रस्ताव संख्या 04 दिनांक 15.07.1987 एवं उसकी पालना में रघुनाथसिंह पुत्र हमीरसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 13 दिनांक 04.12.1987 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय अभिलेख, ग्राम पंचायत वरकाना को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 30/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)